न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०)एक्ट, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

जमानत प्रार्थनापत्र सं०.1178/2026

UPRN010031242026

1–सरोज, उम्र–42 वर्ष, पुत्र–कन्हैयालाल,

2–सुधा, उम्र–45 वर्ष, पत्नी–महेश कुमार,

3–अशोक कटियार, उम्र– लगभग 62 वर्ष, पुत्र स्व० विष्णुस्वरूप

निवासीगण– ग्राम–खासपुर, बकोठी, थाना–अरौल, कानपुर नगर

....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० राज्य

....अभियोजन

मु०अपराध संख्या– 335/2018

धारा–147, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व

धारा–3(1)(द) एस०सी०/एस०टी०एक्ट

थाना –बिल्हौर, कानपुर नगर।

दिनांक–29.06.2026

01– यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण द्वारा मु० अपराध सं०–335/2018, धारा–147, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3(1)(द) एस०सी०/एस०टी०एक्ट, थाना –बिल्हौर, कानपुर नगर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

02– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "प्रार्थिनी के गांव के अशोक कटियार जो कि पूर्व में ग्राम प्रधान थे, प्रार्थिनी के परिवार से दूसरे पक्ष का सहयोग करने के कारण रंजिश मानते थे। इसी कारण से जब वह गांव में नाली का निर्माण गलत तरीके से करा रहे थे, तब उन्होंने नाली को प्रार्थिनी के मकान की तरफ मोड दिया था और विरोध करने पर प्रार्थिनी व उसके परिवार के साथ गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। इसी क्रम में दिनांक–27.08.2017 को पानी की निकासी की समस्या को लेकर प्रार्थिनी के पिता के द्वारा विरोध करने उपरोक्त विपक्षीगणों के द्वारा गाली–गलौज करते हुये, मार–पीट की गयी। प्रार्थिनी के पिता के द्वारा शिकायत करने की जानकारी होने पर विपक्षीगण अत्यन्त बुराई मानने लगे और योजना बद्ध तरीके से दिनांक–30.08.2017 को प्रार्थिनी जब सुबह 5:30 बजे शौचक्रिया हेतु खेतों पर

Digitally signed by PRABHA NATH TRIPATHI
Date: 2026.06.29 15:57:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

थी, तो वहां पहले से ही घात लगाये बैठे निखिल पुत्र–नरेश व आशीष पुत्र–राजू, जो अशोक कटियार के पारिवारिक सदस्य हैं, प्रार्थिनी पर अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुये, सीटी बजाने लगे। पार्थिनी के विरोध करने पर उन लोगों के द्वारा गाली–गलौज बकते हुये, प्रार्थिनी को बदनियती से दबोच लिया और मुंह दबाकर खेत की ओर खीच ले गये और खेतों में प्रार्थिनी के साथ अश्लील हरकतें करते हुये प्रार्थिनी के सीने में धक्का मार कर गिरा दिया और बलात्कार करने का प्रयास करने लगे। प्रार्थिनी चिल्ला कर अपने आपको उनके चंगुल से छुडा कर घर की ओर भाग गयी। उपरोक्त घटना की सूचना प्रार्थिनी ने अपने मां–बात को गतायी और मां–बाप के द्वारा थाने जाकर शिकायत करने की बात सुनकर उपरोक्त विपक्षीगणों ने एक राय होकर प्रार्थिनी के घर में सुबह लगभग 7:00 बजे घुसकर और लात–घूसों व लाठी–डन्डों से बुरी तरह मारा–पीटा और भद्दी–भद्दी गालियां दी। मारपीट का शोर सुनकर गांव के बहुत से लोगों के इकट्ठा हो जाने पर अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। मारपीट में प्रार्थिनी के शरीर में गम्भीर अन्दरूनी चोटे आयी, जिनका प्रार्थिनी ने घरेलू उपचार व दर्द की दवायें लेकर किया।"

03– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र के माध्यम से इस आशय का कथन किया गया है कि प्रार्थिनी सुधा पत्नी महेश का उपरोक्त मामले मेंकोई लेना देना नहीं है तथा कथित घटना वाले दिन वह गांव में नहीं थी। कोई घटना ही नहीं घटी। सिर्फ रंजिशन प्रार्थिनी व उसके परिवार को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण बेगुनाह व बेकसूर है उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया, बल्कि उपरोक्त मामले में उसे गांव की पार्टीबन्दी एवं रंजिश के कारण उपरोक्त मुकदमे में फर्जी फसाया गया है। मुकदमा वादिनी द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर देहात में प्रकीर्ण वाद सं0–1902/2017 में धारा–156(3) सी०आर०पी०सी० के तहत मुकदमा लिखाये जाने हेतु वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित कराकर प्रार्थीगणों के विरूद्ध मुकदमा लिखाया गया। वादिनी के पिता एवं उसके परिवारीजन प्रार्थीगणों से खेती–खलिहान को लेकर रंजिश मानते हैं और आये दिन अकारण ही झगडा फसाद करने पर आमादा रहते हैं, क्योकि मुकदमा वादिनी अनुसूचित जाति की है जिस कारण वह अनुसूचित जाति का फायदा उठाकर मुकदमा वादिनी एवं उसका पिता प्रार्थीगणों पर फर्जी मुकदमा लिखाता है। मुकदमा वादिनी पूनम देवी उर्फ गोल्डन एवं उसके पिता रामादीन द्वारा प्रार्थीगणों पर पूर्व से ही कई मुकदमे फर्जी लिखाये गये, जिसमे मु0 अ 0 सं0–327/2012 जोकि रामादीन एस०सी०/एस०टी० एक्ट में लिखाया गया तथा दिनांक 10.12.2020 को मु0 अ 0 सं0–491/2020 जिसे रामादीन द्वारा लिखाया गया तथा प्रस्तुत मुकदमे में रामादीन की पुत्री पूनम देवी उर्फ गोल्डन द्वारा दिनांक 28.07.2018 को लिखाया गया। सभी मुकदमें एक ही व्यक्ति एवं एक ही घटना से सम्बन्धित हैं और सभी मुकदमे प्रार्थीगणों पर रंजिशन लिखाये गये हैं। सम्पूर्ण कहानी काल्पनिक एवं निराधार है। प्रार्थीगणों के उपरोक्त पूरे परिवार को उपरोक्त मुकदमे में रंजिशन फसाया गया। दिनांक–30.08.2017 को कोई घटना ही घटित नही हुयी। वादिनी द्वारा सुबह 7:00 बजे घर में घुसकर लाठी डण्डों से मारना पीटना बताया गया, जबकि इस प्रकार की न तो घटना हुयी और न ही पत्रावली पर इस प्रकार की कोई चोटें हैं। मुकदमा वादिनी के परिवार के लोग गांव में ग्राम समाज की भूमि पर

जबरन कब्जा कर रहे थे, प्रार्थी अशोक कटियार उस समय ग्राम प्रधान था, प्रार्थी द्वारा ग्राम प्रधान होने के नाते जबरन कब्जा करने से रोका गया, जिस कारण मुकदमा वादिनी एवं उसके परिवार के लोग प्रार्थी एवं उसके परिवार से रंजिश मानने लगे जिस कारण प्रार्थीगण पर मुकदमा कायम करा दिया। कथित घटना वाले दिन प्रार्थीगण गांव में ही नही थे। प्रार्थी महेश अपनी पत्नी सुधा को दवा दिलाने कानपुर गया था तथा अशोक एवं महेश भी घटना वाले दिन गांव में नही थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना नहीं बताया गया, जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति का अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। तद्नुसार जमानत आवेदन पत्र स्वीकार करने की याचना की गयी है।

04– राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

05– वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय समक्ष उपस्थित हैं। उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पत्र मौखित आपत्ति की गयी है। वादी मुकदमा को प्रेषित नोटिस का पूर्व में तामीला होने के बावजूद भी वादी मौखिक अथवा लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं आया। वादी पक्ष की ओर से आज कोई स्थगन/मौका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। पूर्व तिथि पर भी वादी न्यायालय के समय उपस्थित नहीं था। न्यायालय द्वारा पूर्व तिथि को वादी को इस शर्त के साथ अवसर प्रदान किया गया था कि यदि नियत तिथि पर वादी सुनवाई/आपत्ति हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा संगत प्रपत्रों का अवलोकन कर समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा।

06– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

07– प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को पूर्व में अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया थातथा अभियोजन पक्ष द्वारा इस आशय का कोई संगत प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित अपराध सात वर्ष तक की सजा के दण्ड से दण्डनीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation & ANR. (2022)10 SCC 51 तथा Mahdoom Bava Vs. Central Bureau of Investigation (Order Dated-20-03-2023 Passed in SLP (Crl.) No-376-2023) के प्रकाश में तथा मामले के तथ्य परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं अभियुक्तगण की भूमिका के दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत प्रकट किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सरोज, सुधा व अशोक कटियार** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा 50,000/– 50,000/– (पचास–पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाये–

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण वाद के निस्तारण में सहयोग करेंगे।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण साक्ष्य के स्तर पर नियत तिथियों में साक्षियों की उपस्थिति में कोई स्थगन प्राप्त करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय में स्वयं आरोप एवं धारा–313 दं०प्र०सं० के कथन अभिलिखित किये जाते समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे और बिना पर्याप्त आधार के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा धारा–299 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

5. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विचारण को प्रभावित करने हेतु साक्षीगण को किसी प्रकार का प्रभाव अथवा दबाव नहीं डालेंगे और न ही साक्षीगण को प्रभावित करेंगे।

(प्रभा नाथ त्रिपाठी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी/एस०टी०एक्ट)
रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।